भाग 1

क

न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना, जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : ज्ञानेन्द्र सिंह, आर.जे.एस.

अतिरिक्त कार्यभार

निर्णय दिनांक : 31.08.2026

सीआईएस संख्या : 164/2022

फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या : 164/2022

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 02/2021–22

पुलिस थाना : आबकारी निरोधक दल, नांवा

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	
01	भागीरथ राम पुत्र लिखमाराम, उम्र 41 वर्ष, निवासी रिक्शा का बास, डाकीपुरा, पुलिस थाना मौलासर, जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान।
विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त	श्री मनफूल खां व श्री हाकम अली खां

ख

घटना की दिनांक	10.04.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	10.04.2021
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	05.04.2022
आरोप विरचित किए जाने की दिनांक	11.10.2022

साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	11.10.2022
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	31.08.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	31.08.2026
सजा आदेश यदि हो तो	दोषमुक्त

ग

अभियुक्त की सूचना

क्रम	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	न्यायालय से जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में समायोजन समयावधि
01	भागीरथ राम	09.12.2021	09.12.2021	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950	दोषमुक्त	दोषमुक्त	– निल–

भाग 2

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची

कः अभियोजन गवाह

क्रम	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पीडब्ल्यू–01	श्री जय सिंह	मुख्य गवाह
पीडब्ल्यू–02	श्री राम सिंह	मुख्य गवाह
पीडब्ल्यू–03	श्री बाबुलाल जलवानियां	जब्ती अधिकारी/प्रथम अनुसंधान

		अधिकारी
पीडब्ल्यू–04	श्री महावीर सिंह	अन्तिम अनुसंधान अधिकारी

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची

खः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम	**प्रदर्श**	**विवरण**
01	प्रदर्श पी–01	फर्द जब्ती एवं बरामदगी
02	प्रदर्श पी–02	पर्चा बिना वारण्ट तलाशी
03	प्रदर्श पी–03	फर्द नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी–04	फर्द गिरफ्तारी
05	प्रदर्श पी–05	विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु अग्रेषण पत्र/तहरीर
06	प्रदर्श पी–06	विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्राप्ति रसीद
07	प्रदर्श पी–07	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट
08	प्रदर्श पी–08	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
09	प्रदर्श पी–09	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि
10	प्रदर्श पी–10	सैम्पल कैरियर की मूवमेंट पंजिका की प्रमाणित प्रतिलिपि
11	प्रदर्श पी–11	आबकारी मूवमेंट पंजिका की प्रमाणित प्रतिलिपि
12	प्रदर्श पी–12	अभियुक्त का पूर्व का सजायाबी रिकॉर्ड
13	प्रदर्श पी–13	ग्राम सरपंच द्वारा नक्शा मौका की तस्दीक
14	प्रदर्श पी–14	आरोप पत्र

–:: निर्णय ::–

दिनांक – 31 अगस्त, 2026

01. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तत्कालीन प्रहाराधिकारी, आबकारी निरोधक दल, डीडवाना श्री बाबुलाल जलवानियां (आगे **जब्ती अधिकारी/प्रथम अनुसंधान अधिकारी** से उल्लेखित) ने दिनांक 10.04.2021 को फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 इस आशय की मूर्तिब की कि उक्त दिनांक को मय जाप्ता रेडगश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भागीरथ राम पुत्र लिखमाराम, निवासी रिक्शा बास, डाकीपुरा (आगे **अभियुक्त** से उल्लेखित), अपनी कब्जेशुदा दुकान में अवैध शराब रखकर बिक्री कर रहा है, सूचना सही प्रतीत होने पर धारा 47 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (आगे **अधिनियम** से उल्लेखित) का पर्चा कायम कर जाप्ते को सूचना से अवगत कराया तथा मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर पहुँचे। वहाँ अभियुक्त दुकान पर खड़ा था, जो जाप्ता एवं सरकारी वाहन को देखकर भागने लगा, जिसका जाब्ते ने पीछा किया, जाब्ते में शामिल रामसिंह सिपाही ने भागने वाले व्यक्ति की पहचान अभियुक्त के रूप में की। आस–पड़ौस के व्यक्तियों को आने का आशय बताकर स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास किया गया, किन्तु आपसी रंजिश से कोई भी व्यक्ति गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जाप्ते में से सिपाही रामसिंह व जयसिंह को मोतबिर नियुक्त कर अभियुक्त की कब्जाशुदा दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में एक प्लास्टिक का कट्टा रखा दिखाई दिया जिसे खोला, देखा व गवाहों को भी दिखाया तो उमसें 35 पव्वे देशी शराब ढोला मारू के भरे बरामद हुए। बरामद शराब में से एक पव्वा बतौर रासायनिक जांच हेतु नमूना सैम्पल निकाल मार्क ए–1 अंकित कर व शेष शराब पव्वों को उसी प्लास्टिक कट्टे में रहने दिया जाकर उसपर मार्क ए अंकित कर गवाहों के हस्ताक्षरयुक्त सील चिट चस्पा कर जब्त किया गया.... इत्यादि। जब्ती अधिकारी द्वारा वापसी थाने पर जब्ती प्रस्तुत करने पर उसके आधार पर आबकारी निरोधक दल, डीडवाना पर प्रथम सूचना संख्या 02/2021–22, अन्तर्गत अधिनियम की धारा 19/54 के अपराध के लिये पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व अधिनियम की धारा 19/54 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अपराध के लिए आरोप पत्र

न्यायालय में दिनांक 05.04.2022 को प्रस्तुत किया गया। जिस पर उक्त दिनांक को ही अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र में उल्लेखित अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. दिनांक 11.10.2022 को अभियुक्त को अधिनियम की धारा 19/54 (आगे **आरोपित अपराध** से उल्लेखित) के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप सुन समझकर अपराध से इंकार किया व अंवीक्षा चाही।

03. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध को साबित करने के लिये इस निर्णय के भाग 02 के अनुसार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई। गवाह श्री जगदीश प्रसाद की मृत्यु होने से उसकी तलबी बंद की जाकर अभियोजन ने अपनी साक्ष्य दिनांक 24.11.2025 को समाप्त की।

04. अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (आगे **प्रक्रिया संहिता** से उल्लेखित) के तहत परिक्षण दिनांक 08.12.2025 को किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया और कथन किया कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने से इंकार किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों की प्रतिपरीक्षा में गवाह जयसिंह के पुलिस बयान **प्रदर्श डी 01** के रूप में प्रदर्शित करवाये गये है।

05. बहस अन्तिम उभय पक्षों की सुनी गई।

06. विद्वान अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभियुक्त को आरोपित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त तर्को का विरोध किया तथा यह तर्क दिया है कि प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही जब्ती अधिकारी को मिली गुप्त सूचना के

आधार पर शाम 04.00 पीएम पर की गई है तथा नक्शा मौका के अनुसार बरामदगीस्थल आम जनता के आवागमन का स्थान है किन्तु जब्ती अधिकारी ने किसी भी स्वतंत्र गवाह को प्रकरण में गवाह नहीं रखा है। किन व्यक्तियों ने गवाह बनने से इंकान किया? उनके नाम उल्लेखित नहीं किए है। प्रकरण में अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। बरामदगीस्थल दुकान अभियुक्त के स्वामित्व, कब्जे में रही हो तो इस संबंध में कोई दस्तावेज स्वामित्व या कब्जे का प्राप्त नहीं किया गया है। बरामदगीस्थल को अभियुक्त से जोड़ने के लिए नक्शा मौका की पुश्त पर ग्राम सरपंच से तस्दीक प्रदर्श पी 13 प्राप्त की गई है किन्तु ग्राम सरपंच को साक्षी के तौर पर परीक्षित नहीं करवाया गया है। प्रथम अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य के अनुसार तस्दीक मकान की प्राप्त की गई है न कि दुकान की जबकि प्रकरण में अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त की कब्जाशुदा दुकान से बरामदगी हुई है। अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण में 35 पव्वे सादा देशी शराब ढोला मारू के बरामद हुए है किन्तु मात्र एक पव्वा बतौर सैम्पल लिया गया है, बरामदशुदा पव्वों में से प्रत्येक में से सैम्पल नहीं लिया गया है, ऐसे में शेष पव्वों में शराब हो यह तथ्य साबित नहीं होता है। प्रकरण में जब्ती अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी व मौतबिर सभी आबकारी विभाग के कर्मचारी है, स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं हुए है। जब्ती अधिकारी ने प्रकरण का सम्पूर्ण अनुसंधान किया है जिससे जब्ती व अनुसंधान दूषित हो गया है। प्रकरण में अभियुक्त के मौके से गिरफ्तार नहीं होने से अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद राजपत्रित अधिकारी के समक्ष पूर्व से जानने वाले सिपाही राम सिंह से पहचान नहीं करवाई गई है। मालखाना दौराने विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है। परीक्षित गवाहों की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 के अनुसार जब्ती की कार्यवाही शाम 04.00 बजे की गई है जबकि जब्ती के मौतबिर जयसिंह ने थाने से सुबह 09.00 बजे रवाना होने का कथन किया है। गवाह जय सिंह ने उस दिन कुचामन, नावां, मौलासर में रेड गश्त करने व गवाह राम सिंह ने रसीदपुरा, निमोद, जिलिया, डाकीपुरा में रेड गश्त करने का कथन

किया है। गवाह राम सिंह ने मौके पर 04.00 बजे पहुंचने तथा जब्ती अधिकारी ने मौके पर 03.30 बजे पहुंचने का कथन किया है। जब्ती अधिकारी बाबुलाल जलवानियां ने अभियुक्त को जरिये प्रदर्श पी 04 गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होना बताया है जबकि गवाह महावीर सिंह ने प्रदर्श पी 04 पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होना बताया है। इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

खण्डन में विद्वान अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क दिया हैं कि जब्ती के संबंध में किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति के मौतबिर बनने के लिये तैयार नहीं होने से जाब्ते में से विभाग के कर्मचारियों को मौतबिर रखा गया है जिसका अंकन फर्द जब्ती में ही किया गया है, अभियुक्त यह दर्शित करने में असफल रहा हैं कि विभाग के कर्मचारियों की उससे कोई रंजिश रही हो जिससे उसे झूंठा फंसाने का उनके पास कोई कारण हो या उसकी प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार प्रभावित हुआ हो, अभियुक्त को मौके पर जब्ती के गवाहों व जब्ती अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी ने देखा हैं तथा जाब्ते को देखकर वह मौके से भाग गया है। ऐसे में बरामदगी स्थल अभियुक्त के अनन्य व सचेतन कब्जे में हो इस संबंध में नक्शा मौका पर सरपंच तस्दिक व अभियुक्त के उक्त आचरण से अभियुक्त का दुकान पर सचेतन कब्जा साबित होता है। प्रकरण में जब्तशुदा शराब एक ही प्रकृति की होने से एक पव्वा प्रतिनिधि सैंपल लिया गया है। मौके पर बरामद की गई शराब में से लिये गये सैंपल में रासायनिक जांच में एथिल एल्कोहॉल की मात्रा पाई गई हैं, ऐसे में अभियुक्त के कब्जे से आबकारी योग्य द्रव्य बरामद होने का तथ्य साबित हैं। उक्त तर्कों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का निवेदन किया है। अपने तर्को में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

क. विजेन्द्रजीत अयोध्या प्रसाद गोयल बनाम मुम्बई राज्य, एआईआर 1953 सुप्रीम कोर्ट पेज 247,

ख. सी कैलुकुटटी बनाम केरल राज्य, 2009 सुप्रीम(केरल) पेज 741,

08. प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि :–

1. ''क्या दिनांक 10.04.2021 समय 04.00 पीएम या उसके लगभग वाके मोजा गांव रिक्शा का बास, डाकीपुरा में अभियुक्त के सचेतन व अन्यन कब्जे की दुकान से एक प्लास्टिक कट्टा में 35 पव्वे सादा देशी शराब ढ़ोलामारू के बरामद किये गये, जिसका अभियुक्त के पास वैध अनुज्ञापत्र या लाईसेंस नहीं था। उक्त कट्टे में से लिये गये सैंपल में रासायनिक जांच में एथायल एल्कॉहल की मात्रा पाई गई। इस प्रकार अभियुक्त ने अधिनियम की धारा 19/54 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया**"?**
2. यदि हां, तो उपर्युक्त का उचित दण्ड क्या होगा?

09. उपरोक्त विचारणीय बिन्दू के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो यह प्रकरण श्री बाबुलाल जलवानियां तत्कालीन प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल, नावां द्वारा दिनांक 10.04.2021 को दौराने रेड गश्त मिली सूचना के आधार पर अधिनियम की धारा 47 के तहत पर्चा कायम कर मूर्तिब फर्द जबती प्रदर्श पी 01 के अनुसरण में बाद वापसी दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर आरोपित अपराधों में प्रसंज्ञान लिया जाकर दर्ज किया गया है। प्रदर्श पी 01 फर्द जब्ती के अनुसार दौराने रेड गश्त जब्ती अधिकारी को गुप्त सूचना मिलने पर अभियुक्त की कब्जेशुदा दुकान पर पहुंचने पर अभियुक्त खड़ा होना, बावर्दी मय गाड़ी को देखकर भागने लगने, जाब्ते द्वारा पीछा करने, जाब्ते में शामिल रामसिंह सिपाही द्वारा अभियुक्त को पहचान करने व आस–पड़ौस के व्यक्तियों को आने का आशय बताकर स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास करने, तैयार नहीं होने पर जाब्ता में से रामसिंह व जय सिंह को मौतबिर मामूर कर अभियुक्त की कब्जेशुदा दुकान की तलाशी लेने पर प्लास्टिक के कट्टे में से 35 पव्वे देशी सादा शराब ढोला मारू बरामद करने, जिसमें से एक पव्वा बतौर रासायनिक जांच हेतु सैम्पल

निकालकर शेष पव्वों को उसकी कट्टे में रहने दिया जाकर सैम्पल पव्वे पर मार्क ए–1 व कट्टे पर मार्क ए अंकित कर कब्जे लेने के तथ्य अंकित किए गए है।

10 क. इस संबंध में परीक्षित गवाहों की साक्ष्य का अवलोकन किया जावें तो जब्ती अधिकारी श्री बाबुलाल जलवानियां, गवाह पीडब्ल्यू 03, जब्ती के मौतबिर गवाह पीडब्ल्यू 01 जय सिंह, गवाह पीडब्ल्यू 02 राम सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सारतः फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभियुक्त की कब्जाशुदा दुकान से फर्द जब्ती में अंकित शराब बरामद करने की साक्ष्य दी है तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी 01 लगायत प्रदर्श पी 04 प्रदर्शित करवाये है। गवाह जय सिंह ने अभियुक्त को पहचाने, हाजिर अदालत नहीं होने, गवाह राम सिंह ने अभियुक्त को पहचाने, आज हाजिर अदालत नहीं होने, अभियुक्त की स्वयं द्वारा पहचान करने के कथन किए है। गवाह बाबुलाल जलवानियां ने इसके अतिरिक्त प्रकरण का अनुसंधान स्वयं के द्वारा करने, नमूना सैम्पल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रेषित करवाकर रिपोर्ट प्राप्त करने, मालखाना रजिस्ट्रर की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने, मूवमेंट रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने, अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त करने, ग्राम सरपंच द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श 03 की पुश्त पर अभियुक्त का मकान होने की तस्दीक प्रदर्श 13 प्राप्त करने, बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करन की साक्ष्य दी है। गवाह राम सिंह ने इसके अतिरिक्त नमूना सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाये जाने के प्रयोजन से दिये जाने पर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करने की भी साक्ष्य दी है।

प्रति परीक्षा में गवाह जय सिंह पीडब्ल्यू 01 ने कथन किया कि वे उस दिन कुचामन, नावां, मौलासर में रेड गश्त करते हुए गये थे। उसके बयानों प्रदर्श डी 01 में अधिकारी द्वारा धारा 47 का पर्चा बनाने का उल्लेख नहीं है। उन्होंने भागीरथ की दुकान के स्वामित्व बाबत् दस्तावेज नहीं लिये अजखुद कहा कि नक्शा बनाया था। उक्त दुकान के सामने और भी दूकानें थी।

गवाह पीडब्ल्यू 02 राम सिंह ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि वे थाने से कितनी बजे रवाना हुए? उसे याद नहीं है अजखुद कहा कि वे चार बजे मौके पर पहुंचे थे। वे गश्त के दौरान रसीदपुरा, निमादे, जिलिया, डाकीपुरा गये थे। वह मुलजिम को पहले से जानता है। वह मुलजिम के पहले से मुकदमें होने के कारण जानता है। उक्त दुकान आबादी में है।

गवाह पीडब्ल्यू 03 बाबुलाल जलवानियां ने प्रति परीक्षा में कथन किया कि रवानगी रोजनामचना पत्रावली पर नहीं है। घटना के दिन उन्होंने रसीदपुरा, मौलासर आदि गांवों में गश्त की थी। घटनास्थल पर वे करीब साढे तीन बजे पहुंचे थे। अभियुक्त के नाम दुकान का कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं किया अजखुद कहा कि उसके कब्जे संबंधी सरपंच ने तस्दीक की थी। उसने कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये। वह अभियुक्त को पहले से नहीं जानता था अजखुद कहा कि सिपाही राम सिंह अभियुक्त को पहचानता था।

ख. परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू 04 महावीर सिंह ने दिनांक 09.12.2021 को प्रकरण का अग्रिम अनुसंधान उसे प्राप्त होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी करने, अभियुक्त प्रदर्श 04 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर होने, मालखाना इंचार्ज जगदीश प्रसाद के कथन लेखबद्ध करने, बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध न्यायलय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने की साक्ष्य दी है।

प्रति परीक्षा में गवाह ने कथन किया कि इस प्रकरण में उसने कोई जब्ती नहीं की व वह घटनास्थल पर नहीं गया।

11. इस प्रकार पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावें तो सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने यह प्रतिरक्षा उठाई हैं कि प्रकरण में जब्तशुदा शराब के प्रत्येक पव्वे में से सैंपल नही लिया गया हैं। ऐसे में जिन पव्वों में से सैंपल नही लिया गया उसमें शराब हो यह साबित नही हैं। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो अभियुक्त से फर्द जब्ती प्रदर्श पी01 में वर्णितानुसार शराब बरामद की गई हैं तथा यह सही हैं कि बरामद प्रत्येक पव्वे में से सैंपल नही लिया गया हैं वरन एक प्रकृति की शराब में से प्रतिनिधि सैंपल

लिये गये है। इस संबंध में विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत विजेन्द्रजीत अयोध्या प्रसाद गोयल **(उपरोक्त)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा न्यायिक दृष्टांत सी कैलुकुटटी **(उपरोक्त)** में माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा भी यही मार्गदर्शन प्रदान किया हैं कि समान प्रकार की शराब होने पर प्रत्येक बोतल में से सैंपल लिया जाना आवश्यक नही है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की रोशनी में यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने प्रकरण में मालखाना साक्ष्य में न्यायालय में प्रस्तुत नही होने की प्रतिरक्षा उठाई है। इस संबंध में गवाहों की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रतिरक्षा की ओर से जब्ती के दोनो ही मौतबीरों की साक्ष्य में माल व अभियुक्त की पहचान के संबंध में आपत्ति नही होने का नोट अंकित है। इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से उठाया गया उक्त तर्क भी स्वीकार्य प्रकट नही होता है।

आगे पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावें तो प्रकरण जब्ती अधिकारी श्री बाबुलाल जलवानियां तत्कालीन प्रहराधिकारी द्वारा दिनांक 10.04.2021 को दौराने रेड गश्त मिली सूचना के आधार पर अधिनियम की धारा 47 के तहत पर्चा कायम कर फर्द जबती प्रदर्श पी 01 के अनुसार बरामदगी करने व बाद वापसी थाना दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर आरोपित अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर दर्ज किया गया है। प्रदर्श पी 01 फर्द जब्ती के अनुसार दौराने रेड गश्त जब्ती अधिकारी को गुप्त सूचना मिलने पर अभियुक्त की कब्जेशुदा दुकान पर पहुंचने पर अभियुक्त खड़ा होना, बावर्दी मय गाड़ी को देखकर भागने लगने, जाब्ते द्वारा पीछा करने, जाब्ते में शामिल रामसिंह सिपाही द्वारा अभियुक्त को पहचान करने व आस–पड़ौस के व्यक्तियों को आने का आशय बताकर स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास करने, तैयार नहीं होने पर जाब्ता में से सिपाही राम सिंह व जय सिंह को मौतबिर मामूर कर अभियुक्त की कब्जेशुदा दुकान की तलाशी लेने पर प्लास्टिक के कट्टे में से 35 पव्वे देशी सादा

शराब ढोला मारू बरामद करने, जिसमें से एक पव्वा बतौर रासायनिक जांच हेतु सैम्पल निकालकर शेष पव्वों को उसकी कट्टे में रहने दिया जाकर सैम्पल पव्वे पर मार्क ए–1 व कट्टे पर मार्क ए अंकित कर कब्जे लेने के तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है। इस संबंध में प्रकरण के अभियुक्त की कब्जाशुदा दुकान से शराब बरामद होने के तथ्य प्रदर्श पी 01 में अंकित किए गए है। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि दुकान अभियुक्त के स्वामित्व या कब्जे की हो इस संबंध में कोई दस्तावेज अनुसंधान के दौरान प्राप्त नहीं किया गया है। ग्राम सरपंच से नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 की पुश्त पर तस्दीक प्रदर्श पी 13 प्राप्त की गई है किन्तु ग्राम सरपंच को बतौर गवाह प्रस्तुत कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। जब्ती अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त के घर की तस्दीक प्राप्त करने का कथन किया है जबकि बरामदगी दुकान से हुई है। ऐसे में अभियुक्त को बरामदगीस्थल से जोड़ने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। परीक्षित गवाहों की साक्ष्य में भी विरोधाभास इंगित हुआ है यथा जब्ती के अनुसार दौराने रेड गश्त प्रकरण में बरामदगी की कार्यवाही की गई है। कितने बजे थाने से रवाना हुए, किन–किन स्थानों पर रेड गश्त की इसका उल्लेख नहीं है। जब्ती के गवाह जय सिंह ने उस दिन कुचामन, नावां, मौलासर में व गवाह राम सिंह ने उस दिन रसीदपुरा, जिलिया, डाकीपुरा व जब्ती अधिकारी ने रसीदपुरा, मौलासर में रेड गश्त के दौराने जाने का कथन किया है। जब्ती अधिकारी ने जरिये प्रदर्श पी 04 अभियुक्त को गिरफ्तार करने व इस पर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होने की साक्ष्य दी है इसके विपरीत गवाह महावीर सिंह ने अभियुक्त को उसके द्वारा गिरफ्तार कर ई से एफ अपने हस्ताक्षर होने बाबत् कथन किया है। जब्ती अधिकारी ने अनुसंधान के पश्चात् अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र प्रस्तुत करने की साक्ष्य दी है जबकि गवाह महावीर सिंह ने आरोप पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत करने की साक्ष्य दी है। जब्ती के गवाह राम सिंह ने मौके पर 04.00 बजे पहुंचना बताया है जबकि जब्ती अधिकारी ने मौके पर 03.30 बजे पहुंचने का कथन किया है। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार

नहीं किया गया है। जब्ते द्वारा पीछा करने के तथ्य फर्द जब्ती में उल्लेखित है किन्तु भागने पर क्यों नहीं पकड़ पाये इस संबंध में न तो कोई तथ्य उल्लेखित है ना ही कोई साक्ष्य आई है। उपरोक्त समस्त कारणों से अभियुक्त के सचेतन कब्जे से प्रदर्श पी–01 में अंकित शराब बरामद होने का तथ्य अभियोजन संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रकट होता है।

आदेश

12. अतः अभियुक्त **भागीरथ राम पुत्र लिखमाराम, उम्र 41 वर्ष, निवासी रिक्शा का बास, डाकीपुरा, पुलिस थाना मौलासर, जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान।** को आरोपित अपराध **अधिनियम की धारा 19/54** के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थित बाबत प्रस्तुत जमानत व मुचलके उन्मोचित किये जाते है।

13. बाद गुजरने मियाद अपील अथवा अपील न होने की दशा में प्रकरण में जब्तशुदा शराब सैंपल व वजह सबूत यदि पूर्व से निस्तारण नही किया गया हैं तो अधिनियम की धारा 69 की उपधारा 2ए के प्रावधानों के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी को प्रदान किये जावे। जो इस संबध में राज्य सरकार द्वारा बनायें गये नियमों के अनुसार उसे विभागीय रूप से निस्तारित करे।

14. अभियुक्त की ओर से प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलके इस निर्णय की दिनांक से छः माह की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेंगे। उक्त अवधि में अपील प्रस्तुत होने पर उनके उन्मोचन का आदेश माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जावेगा व अपील प्रस्तुत नही होने पर स्वतः ही उन्मोचित समझे जावेंगे।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना,
जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान।

अतिरिक्त कार्यभार

15. यह निर्णय आज **दिनांक 31 अगस्त, 2026** को खुले न्यायालय में लिखवाया जा कर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(ज्ञानेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना,
जिला डीडवाना कुचामन, राजस्थान।
अतिरिक्त कार्यभार